



प्रेस नोट जनपद बागपत
29.08.2025

दिनांक

बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्ता सहित अन्य 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्ता सहित अन्य 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अमित उर्फ मित्तल पुत्र
राजेन्द्र निवासी ग्राम बसी
थाना खेकडा जनपद बागपत।

2- इस्लाम पुत्र रशीद कुरैशी निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत।

3-रोहित पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत

4- 01 वारंटी अभियुक्ता।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 3-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक 29.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने मु0अ0सं0 289/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333 /115(2)/109(1)/125/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 बालअपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तों किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की एंगल बरामदा

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.25 को थाना खेकडा पर वादी अरुण पुत्र बालकिशन निवासी मोहल्ला पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.वसीम 2.नईम पुत्रगण शकील 3.आरिस पुत्र आशु 4. ताहिर, 5.तसलीम 6.नदीम 7.सुहैल 8.सब्बो 9.नगौ 10.समीर 11.धुल्ली 12.सुककड 13.सोनू 14.दानिश व 15-20 अज्ञात व्यक्ति समस्त निवासीगण कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादी की छत पर चढ़कर वीडियो बनाने को लेकर



एक राय होकर हाथ में लाठी डन्डा व धारदार तलवार से जान से मारने की नीयत से वादी के घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों भाई सुरेश, भाभीस व पडोस की भाभी के साथ मारपीट की तथा छत पर चढ़कर पथराव करते हुए गाली-गलौज की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर

मु0अ0सं0 289/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/125/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के पर मु0अ0सं0 289/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/125/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 बालअपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की एंगल बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.वसीम पुत्र शकील निवासी मोहल्ला धोबियान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
 - 2.दानिश पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला धोबियान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
 - 3.आरिश पुत्र आशू निवासी मोहल्ला धोबियान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
 - 4.सोनू पुत्र समेदीन निवासी मोहल्ला धोबियान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 01 बालअपचारी।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की एंगल।

गिरफ्तार एवं कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2.उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3.का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4.का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 29.08.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 183/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.25 को छपरौली पर वादी श्री ऋतिक पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली के ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. कुन्दन (पति) पुत्र किशन कुमार 2. दीपक (देवर) पुत्र किशन कुमार 3. विशाल (देवर) पुत्र किशन कुमार



4.01 महिला(सास) 5. किशन कुमार (ससुर) पुत्र फूल सिंह निवासीगण ग्राम सीदीपुर दादरी थाना जारचा गौतमबुद्धनगर द्वारा उसकी बहन का दहेज के लिये उत्पीडन किया गया । दहेज की मांग से प्रताडित होने के कारण उसकी बहन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 183/25 धारा 82(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट पंजीकृत किया गया।\

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र किशनकुमार निवासी सिदीपुर थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर ।

नोट-उपरोक्त अभियोग में पूर्व में थाना छपरौली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 633 जहाँगीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 976 लवकुश थाना छपरौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 29.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 250/25 धारा
333/75/115(2)/118(1)/109 बीएनएस, 7/8 पोक्सो एक्ट व 4/25 आर्म्स
एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना
प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम एवं वांछित
अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये
जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना
रमाला पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 250/25 धारा
333/75/115 (2)/118(1)/109
बीएनएस, 7/8 पोक्सो एक्ट व 4/25



आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक
कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वीरसैन पुत्र सोमपाल निवासी पट्टी आमरान ग्राम किरठल थाना रमाला
जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 509 आबिद थाना रमाला जनपद बागपत ।

